

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./78/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/128

1. निर्मल कुमार मीणा पुत्र दिनदयाल मीणा जाति मीणा निवासी सीकर तहसील तहसील सीकर जिला सीकर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।
निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-27.05.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा प्रतापपुरा पटवार क्षेत्र चांवण्डियां भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 43 में दर्ज खसरा सं. 459 रकबा 0.39, खसरा संख्या 459/533 रकबा 0.05 कुल किता 02 कुल रकबा 0.44 हैक्ट, खाता सं0 77 में दर्ज खसरा सं. 457/532 रकबा 0.02 कुल किता 01 कुल रकबा 0.02 हैक्ट, और खाता सं0 78 में दर्ज खसरा सं. 457 रकबा 0.45 कुल किता 01 कुल रकबा 0.45 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम प्रतापपुरा के खाता संख्या 43, 77 और 78 संवत 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा प्रतापपुरा पटवार क्षेत्र चांवण्डियां भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 43 में दर्ज खसरा सं. 459 रकबा 0.39, खसरा संख्या 459/533 रकबा 0.05 कुल किता 02 कुल रकबा 0.44 हैक्ट, खाता सं0 77 में दर्ज खसरा सं. 457/532 रकबा 0.02 कुल किता 01 कुल रकबा 0.02 हैक्ट, और खाता सं0 78 में दर्ज खसरा सं. 457 रकबा 0.45 कुल किता 01 कुल रकबा 0.45 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)